12/10/23 पत्रावली पेश हुई/R.O. आज

पेशी 28/2/24

28/2/24 आज पेश

पेशी 11/3/24

11/3/24 आज पेश

पेशी 4/4/24

4/4/24 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी अन्य अप्रार्थी ए. 1 व 2 की ओर से एड. रमेश चौधरी आए। वास्ते जवाब प्रा. पत्र पत्रावली दिनांक 20/3/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

20/3/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व अप्रार्थी ए. 1 व 2 की ओर से रमेश चौधरी एवं अप्रार्थी ए. 1 व 2 का जवाब हुआ, जो संतोषजनक है। अप्रार्थीगण को सम्मन जारी डाक से भेजे एक माह से अधिक का समय हो चुका है। सम्मन अदम तामील लौटकर प्राप्त नहीं हुए हैं अतः तामील सम्यक मानी जाती है।

अतः सम्यक तामील के उपरान्त अप्रार्थीगण हाजिर नहीं आए। अतः अप्रार्थीगण के खिलाफ 10 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

प्रार्थी प्रा. पत्र पर बहस वकील प्रार्थी व अप्रार्थी की सुनी गई। प्रार्थी अप्रार्थी सहखातेदार हैं एवं वादग्रस्त भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है।

अतः वाद की कठिनता को रोकने एवं वाद की विक्रय

फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी चाकसू

बनाम रामगोपाल

पेशी

वाद /वर्ष 136 /2023

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	वाद को बनाए रखने के लिए के लिए प्रा. पत्र के चरण ए (2) में उल्लेखित भूमि पर अपक्षों के तादेबखद खसरे मौके की स्थायित्व बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)